21/03/25 | वकील पक्षकारान उप०। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल करवाने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये गये है अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अदम तलबी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार ~~नंबर~~ नंबर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।